षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 सोमवार, दिनांक- 28 नवम्बर, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.28 बजे अप० तक

प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री प्रेम कुमार द्वारा नोटबंदी पर अपना पक्ष रखा गया जिसपर आसन द्वारा कहा गया कि नोटबंदी का मामला इस सदन से संबंधित नहीं है । अत: सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 21 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न सं०-3 'सामान्य प्रशासन विभाग' में स्थानान्तीत ।

(iv) 44 तारांकित प्रश्न अनागत ।

''तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रेम कुमार द्वारा माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने की सूचना दी गई ।

आसन द्वारा कहा गया कि वे स्वयं सारी स्थिति की समीक्षा कर सदन को अवगत करा देंगे ।''

[2] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, श्री संजय सरावगी, श्री जिवेश कुमार, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री अमीत कुमार
(ii) श्री विजय कुमार खेमका
(iii) श्री मो० नेमतुल्लाह
(iv) श्री मिथिलेश तिवारी
(v) श्री मो० नवाज आलम
(vi) श्री जिवेश कुमार

(vii) श्री महबूब आलम
(viii) श्री संजय सरावगी
(ix) श्री ललन पासवान
(x) श्री विनोद प्रसाद यादव
(xi) श्री निरंजन कुमार मेहता
(xii) श्री प्रमोद कुमार
(xiii) श्री रामचंद्र सहनी
(xiv) श्रीमती बेबी कुमारी
(xv) श्री (डॉ०) राजेश कुमार
(xvi) श्री विजय कुमार सिन्हा
(xvii) श्री विद्या सागर केशरी
(xviii) श्री केदार प्रसाद गुप्ता
(xix) श्री वशिष्ठ सिंह

[4] अन्य चर्चा :-

''शून्यकाल की समाप्ति उपरांत सूचना पर खड़े होकर माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव द्वारा नेता प्रतिपक्ष का, बोलने के दौरान, माइक बंद होने पर अपना विरोध जताया एवं आसन से संरक्षण की मांग की ।

आसन द्वारा कहा गया कि प्रतिपक्ष के पद की मर्यादा और महत्व को भलीभाँति आसन समझता है । आसन की तरफ से कभी ऐसी कोशिश नहीं की जाती है । माननीय नेता प्रतिपक्ष तो सदन के अमूल्य सदस्य हैं । बाकी सदस्य की भी आवाज दबा दी जाय, ऐसी कोशिश कभी नहीं होती है । अभी जो एक घंटे का जो सदन चला है उसमें भी नेता प्रतिपक्ष को कम-से-कम आसन की तरफ से 4-5 बार बोलने के लिए आग्रह किया गया है । इसलिए ऐसी धारणा कभी न रखी जाय कि नेता सदस्य या नेता सदन या सरकार या कोई सदस्य इस सदन के बहुत ही बहुमूल्य सदस्य और अंग होते हैं । इसलिए कभी किसी की आवाज दबायी नहीं गयी है । आसन के तरफ से तो हमेशा माननीय नेता प्रतिपक्ष का आदर होता है, सम्मान होता है और जारी रहेगा ।

[5] ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य सभासदों का पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलोक मेहता द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) श्री यदुवंश कुमार यादव का परिवहन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना को पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, श्री चंद्रिका राय द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री राम विचार राय द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर के वर्ष 2011-12 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[7] आसन का नियमन :-

माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के मामले में निम्न नियमन दिया गया :-

''उस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी के द्वारा दिनांक 23.11.2016 को अनुरोध किया गया कि दिनांक-25.11.2016 के आरंभ होने शीतकालीन सत्र में उन्हें हाफ पैंट एवं गंजी में ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाय ।

माननीय सदस्यगण आप अवगत हैं कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-29(1) के तहत प्रावधान है कि जब सदन का उपवेशन हो रहा हो तब सदस्य शिष्टापूर्वक सदन में प्रवेश करेंगे । हाफ पैंट एवं गंजी पहनकर सदन में आना अशिष्ट आचरण का परिचायक होगा । सदन की मर्यादा अक्षुण्ण रहे, इसी कारण से उपवेशन के क्रम में उनका सदन में प्रवेश वर्जित किया गया है ।''

तत्पश्चात् सदन की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.10 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[8] **वित्तीय कार्य :-**

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया ।

[9] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 23 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-28 नवम्बर, 2016

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।